उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–11
संख्या– ५० /1–11–2019–03(जी)/2019
लखनऊः दिनांकः ०९ अप्रैल, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 21–(1) के अनुसार प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाली भारी जन–धन हानि को न्यूनीकृत किये जाने हेतु राहत आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में बाढ़ अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

क0सं0	नाम	पद
1.	राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2.	परियोजना निदेशक, फ्लड, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।	सदस्य (सचिव)
3.	परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य
4.	परियोजना निदेशक, इमरजेन्सी ऑपरेशन, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, सिंचाई, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, पशुधन एवं कृषि द्वारा नामित सदस्य (विशेष सचिव स्तर के समकक्ष)	सदस्य
6.	निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की। ।	सदस्य
7.	निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, लखनऊ।	सदस्य
8.	निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ।	सदस्य
9.	अध्यक्ष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल एण्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रूड़की।	सदस्य
10.	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।	सदस्य
11.	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।	सदस्य
12.	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ ।	सदस्य

2. यह समिति निम्नलिखित कियाकलापों में भाग लेते हुए राज्य सरकार को समय–समय पर सुझाव देगीः–

- संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक बाढ़ न्यूनीकरण सुझाव।
- बाढ़ से पूर्व बाढ़ न्यूनीकरण कार्य योजना।
- बाढ के बाद की कार्य योजना।
- जनपदवार वर्षा की सूचना।
- बाढ़ पूर्व चेतावनी।

3. बाढ़ अनुश्रवण समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नवत् हैः–

Objective of Flood Monitoring Committee:-

- To act as scientific and technical advisor to Govt. of Uttar Pradesh on the aspect of Flood Management.

- To undertake study and research in various scientific and technical issues related to flood management.
- To develop channel of flood forecasting so that the warning reach to the grassroot level.
- To develop quick response to any flood situation.
- To develop different ways to educate the local community
- To develop database of various pervious flood incidents.
- Provide flood early warning to Govt. and other stake holders.
- To develop short term and long term flood mitigation measures recommended them to various institutes.
- To develop the interdepartmental coordination to effective Flood Management.
- To develop a network of various resources and user agencies so that the information and database management could be strengthened through collective input of these agencies; and
- To initiate, support and coordinate applied research programs in universities and other institutions related to Flood Monitoring and Mitigation.

Activities:

- Satellite based flood management in collaboration with RSAC.
- Asses the Govt. in flood management.
- Conduct Study/field visit in flood mitigation.
- Develop strategic action plan on flood mitigation.
- Assist the govt. in preparation of loss determination due to Floods and preparing of memorandum for submission to Govt. of India.
- Documentation of Flood management efforts.
- Advice the Govt. on different aspects flood management and river water management.
- Departments like Police, Education, and Health will conduct awareness programme in the local community.
- Mapping the vulnerable areas of the state by using previous year's data of rainfall and river flow.

08/4/19

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– ५० (1)/1–11–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, सिंचाई, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, पशुधन एवं कृषि विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया बाढ़ अनुश्रवण समिति में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित करते हुये उसकी सूचना राजस्व अनुभाग–11 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अध्यक्ष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, डिपार्टमेन्ट ऑफ सिविल एण्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रूड़की।

3. निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की। ।
4. निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, लखनऊ।
5. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, राहत आयुक्त उ0प्र0।
8. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
9. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
11. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
12. परियोजना निदेशक, फ्लड, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
13. परियोजना निदेशक, इमरजेन्सी ऑपरेशन, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
14. गार्ड–फाईल

Ncla
13.3.19

आज्ञा से,

(राधेश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।